सं. 21/131/2013-एम एंड जी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

जारी किया
ISSUED
04 NOV 2013
प्राप्तकर्ता/Info....
RTI/MHA/NS&S-II

Speed Post

एन डी सी सी-।। भवन, जयसिंह रोड़,
नई दिल्ली, 1/11/2013

04 NOV 2013

सेवा में

श्री संदीप कर्मा, एडवोकेट
ऑटो मार्केट, सिरसा रोड़, एलनाबाद
जिला सिरसा, हरियाणा-125102

विषय:-आर टी आई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में।

महोदय,

कृपया इस मंत्रालय के दिनांक 04.10.2013 के पत्र सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई का अवलोकन करें, जहां आपका दिनांक 04.09.2013 का आर टी आई आवेदन आपको सूचना प्रदान करने के लिए इस इस केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया गया है।

2. बिन्दु सं.। के संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि गांव 'कुतियांवाली' का नाम बदलकर 'शेरांवाली' करने का प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था और मंत्रालय के दिनांक 23 नवम्बर, 2011 के पत्र के तहत राजपत्रित अधिसूचना जारी करने के लिए पंजाब सरकार को 'एन ओ सी' की सूचना दे दी गई थी। माच्छीवाड़ा का नाम बदलकर 'माच्छीवाड़ा साहिब' करने का प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार से मांगी गई अपेक्षित सूचना के प्राप्त न होने के कारण आगे नहीं बढ़ाया गया। आपके द्वारा मांगी गई प्रतियां संलग्न हैं।

3. बिन्दु सं. 2 के संबंध में, गांवों, कस्बों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने के लिए इस मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से विचार किया जाता है और अपेक्षित राजपत्र अधिसूचना जारी करने के लिए संबंधित राज्य को 'एन ओ सी' की सूचना दी जाती है (प्रति संलग्न)।

155 ue

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली/New Delhi
10 SEP 2013
के.र.सं. 1166
C.R. No.
सी.आर. अनुभाग/नॉर्थ ब्लॉक CR Section/North Block

G139/RTI/2013
04.10.13

सेवा में,

श्रीमान केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेजात उपलब्ध करवाने का कष्ट करें:–

श्रीमान जी,

1. यह कि बीते वर्ष पंजाब राज्य के गांव कुतियांवाली का नाम बदलकर शेरांवाला व माच्छीवाला गांव का नाम बदलकर माच्छीवाला साहब मंजूर किया गया था, कृप्या उक्त गांवो के नाम बदलने बाबत सरकार/गांव/संस्था/पंचायत आदि–2 द्वारा किये गये आवेदन पत्र व संलग्न दस्तावेजात आदि–2 अर्थात पूरी फाईल की फोटो प्रतियां प्रार्थी को प्रदान करने का कष्ट करें।
2. भारतवर्ष में यदि किसी गांव का नाम बदलना हो तो उसके सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया/जारी नोटिफिकेशन की प्रतियां प्रार्थी को प्रदान करने करें।

प्रार्थी उपरोक्त जानकारियों के सम्बन्ध में अधिनियम द्वारा निर्धारित शुल्क 10/– रूपये बजरिया भारतीय पोस्ट आर्डर संख्या 19F964920 दिनांक 3-9-2013 लगाकर आपसे निवेदन करता है कि कृप्या उपरोक्त जानकारियां पैरवाईज व ....? के अनुसार प्रार्थी के नीचे लिखे पते पर बजरिया रजिस्टर्ड डाक भिजवाने का कष्ट करें उपरोक्त जानकारियों के सम्बन्ध मे यदि माननीय आथोरिटी का सीधा सम्बन्ध ना हो तो कृप्या अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 3 के तहत सम्बन्धित कार्यालयों/आथोरिटी को भिजवाकर प्रार्थी द्वारा मांगी गई जानकारियां उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। यदि प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना का कोई भाग इलेक्ट्रोनिक डिवाईस के रूप में दिया जा सकता है तो उसे इलेक्ट्रोनिक डिवाईस में व शेष भाग प्रतियों के रूप में प्रदान करने का कष्ट करें। प्रार्थी इस बात का भी निवेदन करता है कि जानकारियों के साथ में अपीलाण्ट आथोरिटी का पूर्ण पता भी जानकारियों के साथ प्रार्थी को भिजवाने का कष्ट करें। यदि माननीय आथोरिटी को प्रार्थी द्वारा मांगी गई किसी जानकारी के बाबत पूछताछ करनी हो तो माननीय आथोरिटी किसी भी समय प्रार्थी के नीचे लिखे मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क कर सकती है।

ऐलनाबाद/4-9-2013

प्रार्थी

सन्दीप कामरा, एडवोकेट
आर्ट मार्केट, सिरसा रोड
ऐलनाबाद जिला सिरसा,
हरियाणा–125102।
मोबाईल नम्बर 094162–86170

Dir (CS-II)

4. उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध अपील श्री एस. सुरेश कुमार संयुक्त सचिव (सी एस) एवं प्रथम अपील प्राधिकारी, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-।। भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली के समक्ष की जा सकेगी।

संलग्नक: <u>यथोपरि</u>

भवदीय,

(आशुतोष जैन)
निदेशक (सी एस-।।) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
दूरभाष: 23438147

प्रति सूचनार्थ प्रेषित:

श्री एस.सामंत, अवर सचिव (आर टी आई), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को दिनांक 4.10.2013 के ऊपर उल्लिखित पत्र के संदर्भ में।

(आशुतोष जैन)
निदेशक (सी एस-।।) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
दूरभाष: 23438147